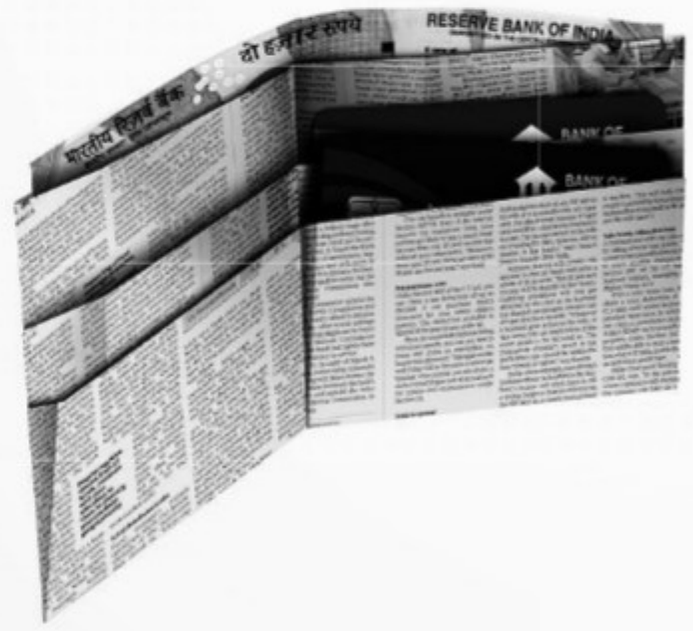

सार्वजनिक सूचना

अपार्टमेंट नं. M2D143 को DLF (Ex-Development) द्वारा एक्सप्रेस ग्रीन्स, सेक्टर M1A की परियोजना में **श्री लाजपात राय अनेजा** दायर दावे को HSIIDC के समक्ष दावेदार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2018 के निर्देश के अनुसार डायरी नंबर 1952/10.04.2018 के माध्यम से आवंटित किया गया था, निगम को सूचित किया गया है कि मूल दावेदार **श्री लाजपत राय अनेजा** की मृत्यु 18.06.2018 गई थी। जिला मजिस्ट्रेट, सरस्वती विहार, नई दिल्ली के आदेश द्वारा जारी जीवित सदस्य प्रमाणपत्र संख्या **90660000076882 दिनांक 04.02.2021** के अनुसार मृतक दावेदार के कानूनी उत्तराधिकारी **नीरज अनेजा (पुत्र), राजीव अनेजा (पुत्र) और संजीव अनेजा (पुत्र)** ने **स्वर्गीय श्री लाजपत राय अनेजा** के पक्ष में प्रश्नगत संबंधित अपार्टमेंट को परिवार के भीतर स्थानांतरित करने के लिए निगम से संपर्क किया है।

निगम उनके अनुरोध पर विचार करने और उक्त अपार्टमेंट को **स्वर्गीय श्री लाजपत राय अनेजा पुत्र श्री जीडी अनेजा** के सभी पुत्र श्री राजीव अनेजा और श्री संजीव अनेजा के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यहां सूचित किया जाता है कि यदि स्वर्गीय **श्री लाजपत राय अनेजा पुत्र श्री जीडी अनेजा** या किसी अन्य व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों में से कोई भी उक्त स्थानांतरण पर आपत्तियां/आपत्ति रखता है इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक हलफनामे के साथ अधोहस्ताक्षरी या'' नोडल अधिकारी – (912 एकड़), एचएसआईआईडीसी लिमिटेड, सी–13–14, सेक्टर–6, पंचकूला, हरियाणा के समक्ष लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि किसी को भी स्वर्गीय श्री लाजपत राय अनेजा के पुत्रों श्री राजीव अनेजा और श्री संजीव अनेजा के नाम पर उक्त अपार्टमेंट के हस्तांतरण में कोई आपत्ति नहीं है और निगम उनके पक्ष में अपार्टमेंट के हस्तांतरण के साथ आगे बढ़ेगा।

एस्टेट मैनेजर
प्रति और की ओर से
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
एचएसआईआईडीसी, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम

कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड

(सीआईएन: **U74999HR1992FLC036104**)
पंजीकृत कार्यालय: नरसिंगपुर, खेड़की दौला पोस्ट,
दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम – 122004, हरियाणा, भारत
टेली नं.: +91–124–4825500, फैक्स नंबर: +91–124–2372230
ईमेल: **secretarial@carrier.com**, वेबसाइट: **www.carrierindia.com**

सामान्य सूचना

कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड (''**कंपनी**'') के सदस्य को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि 1 फरवरी, 2024 से कंपनी ने **मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U67190MH1999PTC118368) (SEBI पंजीकृत: INR000004058)** जिसका पंजीकृत कार्यालय C-101, पहली मंजिल, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई – 400083, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है, को नियुक्ति कर दिया है, जो कंपनी के नए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

शेयरों के हस्तांतरण/संप्रेषण, पते में परिवर्तन, डुप्लिकेट शेयरों को जारी करने, डिमटेरियलाइजेशन आदि से संबंधित सभी पत्राचार और अनुरोध अब से **मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ''नोबल हाइट'' पहली मंजिल, सी–1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनक पुरी–110058, नई दिल्ली** को भेजे जा सकते हैं।

कृते कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड
हस्ता/–
स्थानः गुरुग्राम **अनुराग गुप्ता**
दिनांकः 6 फरवरी, 2024 **कंपनी सचिव**

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़े हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सतीश मोदी और राम किशन मोदी को 10.03.2018 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00279188 की राशि रू.48,98,894/- (रुपए अड़तालीस लाख अठ्ठानवे हजार आठ सौ चौरानवे मात्र) और 07.03.2018 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिपालना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी ईंट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 02.02.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.48,98,894/- (रुपए अड़तालीस लाख अठ्ठानवे हजार आठ सौ चौरानवे मात्र) 07.03.2018 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

युनिट नं.R0310C21905, फ्लैट नं.1905, उन्नीसवीं मंजिल, टॉवर/ब्लॉक -सी2/सी2, जिसका सुपर एरिया 1425 स्के.फीट, टाईप 3बीएचके + 2 टीओआई, प्लॉट नं.001 पर स्थित द रोमानो से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, सेक्टर- 118/जीएचपी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश एक कवर्ड कार पार्किंग जगह के साथ

सही/-
दिनांक :02.02.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नोएडा इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़े हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार राहुल त्रिपाठी और सोनी त्रिपाठी को 27.12.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOD00445148 की राशि रू.79,25,397.40/- (रुपए उनासी लाख पच्चीस हजार तीन सौ सत्तानवे और चालीस पैसे मात्र) और 20.12.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिपालना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी ईंट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 02.02.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.79,25,397.40/- (रुपए उनासी लाख पच्चीस हजार तीन सौ सत्तानवे और चालीस पैसे मात्र) 20.12.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.0101, पहली मंजिल, ब्लॉक -एफ1, सुपर टेक रोमानो, प्लॉट नं.जीएचपी 01 का भाग, सेक्टर-118, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201303, उत्तर प्रदेश।

सही/-
दिनांक :02.02.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नोएडा इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़े हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार राकेश खन्ना, नरेन्द्र खन्ना और भावना कपूर को 31.10.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLVAS00210377 की राशि रू.49,48,390.57/- (रुपए उनचास लाख अड़तालीस हजार तीन सौ नब्बे और सत्तावन पैसे मात्र) और 28.10.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिपालना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी ईंट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 02.02.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.49,48,390.57/- (रुपए उनचास लाख अड़तालीस हजार तीन सौ नब्बे और सत्तावन पैसे मात्र) 28.10.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.1605, जिसका सुपर एरिया 1020 स्के.फीट, सोलहवीं मंजिल पर, ब्लॉक ए-4, द रोमानो से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, प्लॉट नं.001 पर निर्मित, सेक्शन 118/जीएचपी में स्थित, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश एक कवर्ड कार पार्किंग जगह के साथ

सही/-
दिनांक :02.02.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नोएडा इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (आईएचएफएल) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़े हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार रणदीप दत्ता और जूनु बोनी निओग को 16.11.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00218293 की राशि रू.19,93,889.74/- (रुपए उन्नीस लाख तिरानवे हजार आठ सौ नवासी और चौहत्तर पैसे मात्र) और 31.10.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभिपालना सूचना जारी की थी। इसके अलावा आइएचएफएल ने दिनांक 27.06.2023 के असाइनमेंट करार द्वारा एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई) के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शिर्षक और ब्याज को दिनांक 04.08.2023 के रेक्टिफिकेशन एग्रीमेंट करार सौंपा गया है।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी ईंट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 02.02.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.19,93,889.74/- (रुपए उन्नीस लाख तिरानवे हजार आठ सौ नवासी और चौहत्तर पैसे मात्र) 31.10.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं.522, जिसका सुपर एरिया 690 स्के.फीट, पाँचवीं मंजिल पर, ब्लॉक बी1, गोल्फ विलेज से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, टीएस-5 पर स्थित, सेक्टर 22डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा- 201303, उत्तर प्रदेश

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 02.02.2024 एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
स्थान : ग्रेटर नोएडा (102-ट्रस्ट)

सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड

सीआईएनः L65991DL1990PLC041796
पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर वाणिज्यिक परिसर, आजादपुर, दिल्ली–110033
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज – III, गुरुग्राम – 122016, हरियाणा, भारत
फोनः 0124–4715400 | वेबसाइटः www.satincreditcare.com
ईमेल आईडीः secretarial@satincreditcare.com

पोस्टल बैलेट सूचना और रिमोट ई–वोटिंग जानकारी

सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड (''**कंपनी**'') के सदस्यों को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''**अधिनियम**'') की धारा 110 और 108 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 (''**नियम**''), (समय–समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधनों या अधिनियमों या उसके पुनः अधिनियमनों, सहित के अनुसरण में और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और संशोधित अन्य लागू प्रावधानों (''**सेबी लिस्टिंग विनियम**'') और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 8, 2020, 17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, 20/2020 दिनांक मई 5, 2020, 22/2020 दिनांक जून 15, 2020, 33/2020 दिनांक सितम्बर 28, 2020, 39/2020 दिनांक दिसम्बर 31, 2020, 10/2021 दिनांक जून 23, 2021, 20/2021 दिनांक दिसम्बर 8, 2021, 3/2022 दिनांक मई 5, 2022, 11/2022 दिनांक दिसम्बर 28, 2022 और नवीनतम परिपत्र, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक सितंबर 25, 2023 के संदर्भ में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया (''**एमसीए परिपत्र**''), भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (''**एसएस–2**'') और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के तहत केवल रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निम्नलिखित प्रस्तावों पर कंपनी के सदस्यों की मंजूरी मांगी जा रही है:

क्र. सं.	प्रस्ताव का विवरण	प्रस्ताव का प्रकार
1.	श्री अनिल कौल (डीआईएनः 00644761) की 3 (तीन) वर्षों की पहली अवधि के लिए कंपनी के गैर–कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष
2.	श्री अनिल कौल (डीआईएनः 00644761), गैर–कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक को कमीशन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान	विशेष

एमसीए परिपत्रों की आवश्यकता के अनुपालन में, पोस्टल बैलेट सूचना की हार्ड कॉपी और प्री–पेड बिजनेस लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा जाएगा और सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करें। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''**सीडीएसएल**'') की सेवाओं का लाभ उठाया है ताकि सदस्य भौतिक मोड के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

कंपनी ने फरवरी 5, 2024 को अपने सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा व्याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलेट सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनका नाम **कट–ऑफ तिथि अर्थात जनवरी 25, 2024** के अनुसार डिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''**एनएसडीएल**'')/सीडीएसएल से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई देता है और जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत किया है। कोई भी व्यक्ति जो कटऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से मानेगा।

रिमोट ई–वोटिंग **मंगलवार, फरवरी 6, 2024 को सुबह 9:00 बजे (IST)** से शुरू होगी और **बुधवार, मार्च 6, 2024 को शाम 5:00 बजे (IST)** पर समाप्त होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग सुविधा अक्षम कर दी जाएगी।

पोस्टल बैलेट सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.satincreditcare.com**, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** क्रमशः पर सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को ईमेल द्वारा **delhi@linkintime.co.in** पर या डाक द्वारा मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी–1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 पर अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करें।

निदेशक मंडल ने मेसर्स राजीव भाटिया एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट (आईसीएआई सदस्यता संख्या 089018) के श्री राजीव भाटिया को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है, ताकि रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट का संचालन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो।

स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट के साथ मतदान परिणाम गुरुवार, मार्च 7, 2024 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट **www.satincreditcare.com** और सीडीएसएल की वेबसाइट, **www.evotingindia.com** पर भी पोस्ट किए जाएंगे इसके अलावा बीएसई लिमिटेड को **www.bseindia.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को **www.nseindia.com** पर भी सूचित किया जाएगा।

ई–वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य कृपया पोस्टल बैलेट सूचना में "ई–वोटिंग से संबंधित सामान्य जानकारी और निर्देशों" अनुभाग देखें। ई–वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, आपको श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुंबई–400013 से संपर्क किया जा सकता है या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर लिखें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।

कृते सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड
हस्ता./–
विकास गुप्ता
स्थानः गुरूग्राम **कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी**
दिनांकः फरवरी 5, 2024 **एम. नं. A24281**

CHANGE OF NAME

I, **Smt. DIPTI PATTELA**, Indian Inhabitant, D/o Shri H C Kalra, age 36 years, presently R/at B 107, Skanda Elina, Balagere Road, Next to Just Bake, Varthur, Bangalore-560 087, Karnataka do hereby declare that I have changed my name from **DIPTI PATTELA** to **DIPTI KALRA**, henceforth I shall be known and called as **DIPTI KALRA** only for all purposes, vide affidavit dated 22nd Jan 2024, sworn before Notary **C.V. EARAPPA** at Bangalore.

NAME CHANGE

I, Bhuwon Bhatia S/o Ashok Bhatia R/o 401 Tower 5 M3M The Marina Sector 68 Gurgaon 122101 Haryana, have changed my name from Bhuwon Bhatia to Bhuwn Bhattia.

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that share Certificate No. 108053 for 40 Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each bearing Distinctive No.(s) 24272252 -24272291 of Eicher Motors Limited, having its registered office at 3rd Floor, Select Citywalk, A-3, District City Centre, Saket, New Delhi-110 017 registered in the name of K N CHIDANANDA/K N RAGHAVENDRA have been lost. (K N Raghavendra the holder) have applied to the company for issue duplicate Certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within in 15 days of the publication of this notice.

Place: Udupi
Date: 06.02.2024

Applicant name
K N Raghavendra

फॉर्म न. आईएनसी-26
कम्पनीज (निगमन) नियम, 2014 की नियम 30 के अनुसार
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की, उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 की उप नियम 5 के खंड (ए) के मामले में
और
निम्न के मामले में **बीवी एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** पंजीकृत कार्यालय- चौथी मंजिल रेगल रेक्टैंगल, साकेत शेरेटन होटल के पीछे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डी-4, साकेत, नई दिल्ली-110017 भारत में है।

........याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा तहत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक को अधिकार प्रत्यायोजित को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 29 सितंबर 2023 को आयोजित तीसरी वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या अपने हित के प्रकार से संबंधित आधार एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथ पत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को, बी-2 विंग, 2री तल पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है। और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के निम्नलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए, चौथी मंजिल, रेगल रेक्टैंगल, साकेत शेरेटन होटल के पीछे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डी-4, साकेत नई दिल्ली-110017 भारत

बीवी एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से
हस्ता-/-
[illegible]
प्रबंध निदेशक **दिनांक-06-02-2024**
डीआईएन-0969966 **स्थान- नई दिल्ली**

Personal Finance, **Insight Out**

Personal Finance, **Monday to Saturday**

To book your copy, sms **reachbs** to **57575**
or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out